(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री सज्जन सोडानी, निवासी बिगोद, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 08/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12–02–2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 15.10.2024 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 09.12.2024 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा ने उनके कार्यालय के पत्रांक 237 दिनांक 12–02–2025 से अवगत कराया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वांछित राजस्व रेकार्ड की नकलें जारी करने के लिए राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख नियमावली 1957 के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रार्थनापत्र पेश कर नकले प्राप्त की जा सकती है। अपने जबाव में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर की अपील संख्या आरसी/भील/ए/2024/002592 निर्णय दिनांक 20–04–2024 न्यायिक दृष्टांत भी पेश किया। जिसका ससम्मान अध्ययन एवं मनन किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त अपील जवाब की प्रति अपीलार्थी/प्रार्थी को भी भिजवाया जाना अभिव्यक्त किया गया है। 4. अपीलार्थी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई आपति प्रस्तुत किया जाना अभिलेख पर मौजूद नहीं है और अपीलार्थी से किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज भी प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई सूचना से अपीलार्थी/प्रार्थी संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12–02–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)	